



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062023-246575
CG-DL-E-15062023-246575

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2544]
No. 2544]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2023/ज्येष्ठ 25, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2023/JYAISHTHA 25, 1945

भारी उद्योग मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 15 जून, 2023

का.आ. 2657(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की खंड 17 के साथ पठित खंड 16 के उप-खंड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह विचार रखते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा ऑटोमोबिल व्हील रिम घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

1. इस आदेश को ऑटोमोबिल व्हील रिम घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 कहा जाएगा।
2. यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. ऑटोमोबिल व्हील रिम घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 दिनांक: 08 जून, 2022 में, पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) यह 22.12.2023 से प्रवृत्त होगा.”

[फ़ा. सं. 12(67)/2019-एईआई (20457)]

डॉ. हनीफ़ कुरैशी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) में दिनांक 21 सितंबर, 2020 को का.आ. 3227(अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना संख्या का.आ. 2132(अ), दिनांक: 28 मई, 2021, के माध्यम से संशोधन-1, अधिसूचना संख्या का.आ. 4493(अ) दिनांक: 22 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से संशोधन-2 और अंततः का.आ. 2634(अ), दिनांक: 8 जून, 2022 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

ORDER

New Delhi, the 15th June, 2023

S.O. 2657(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16, read with section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. Short title and commencement. –

1. This Order may be called the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Amendment Order, 2023.
2. It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) amendment Order, 2022 dated: 08th June, 2022, in paragraph 2, for sub-paragraph (2), the following sub- paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) It shall come into force with effect from 22.12.2023.”

[F. No. 12(67)/2019-AEI (20457)]

Dr. HANIF QURESHI, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) vide number S.O.3227(E), dated the 21st September, 2020, Amended-1 vide notification number S.O. 2132(E), dated: 28th May, 2021, Amended-2 vide notification number S.O. 4493(E), dated: 22nd October, 2021 and lastly amended vide S.O. 2634(E), dated: 8th June, 2022.